

अनुदान संख्या 61 – विधि और न्याय
GRANT No. 61 - LAW AND JUSTICE

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2586,33,00		
		2586,36,00	2307,35,40	-279,00,60
पूरक	Supplementary	3,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			232,63,17
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	1800,00,00		
		3972,14,00	3676,95,52	-295,18,48
पूरक	Supplementary	2172,14,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			293,57,00

टीका और टिप्पणियां

Notes and comments

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

अधिक व्यय+
Excess+
बचत-
Saving -
(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2014"	Major Head "2014"				
न्याय प्रशासन	Administration of Justice				
मू.	O.	59803.00			
पू.	S.	1.00	51977.56	51503.81	-473.75
पु.	R.	-7826.44			
मुख्य शीर्ष "2015"	Major Head "2015"				
चुनाव	Elections				
मू.	O.	108712.00			
पु.	R.	-17502.47	91209.53	91284.28	+74.75
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	11270.00			
पु.	R.	-8376.10	2893.90	..	-2893.90
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	51500.00			
पु.	R.	14169.00	65669.00	65669.00	..
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"				
विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	5000.00			
पु.	R.	-5000.00

(I) ₹16497.00 लाख का प्रावधान पांच शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹16270.00 लाख निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष “2552” – “न्याय प्रशासन” –

(क) “न्यायपालिका की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए अनुदान” – ₹6300.00 लाख; और

(ख) “ई-न्यायालय परियोजना चरण-II” – ₹4970.00 लाख।

प्रावधान उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्वोक्त क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं” – ₹5000.00 लाख – संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से दावे न प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) मुख्य शीर्ष “2014” – “ई-न्यायालय – ई-न्यायालय-चरण-II” – ₹14754.16 लाख की बचत (₹43030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उच्च न्यायालयों द्वारा ई-न्यायालय चरण-II स्कीम के कार्यान्वयन के लिए कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “2015” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “निर्वाचन अधिकारी – राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” – ₹2587.43 लाख की बचत (₹17775.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता तथा वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्रक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(I) Provision of ₹16497.00 lakhs remained wholly unutilized under five heads; of these ₹16270.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head “2552” - “Administration of Justice” -

(a) “Grants for Infrastructural facilities for Judiciary” - ₹6300.00 lakhs; and

(b) “E-Court Project Phase-II” - ₹4970.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructural facilities for Judiciary” - ₹5000.00 lakhs - due to non-receipt of claims from the Union Territory Governments.

(II) Under Major Head “2014” - “E-Courts - E-Courts Phase-II” - saving of ₹14754.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹43030.00 lakhs) was due to requirement of less funds by High Courts towards implementation of E-Court Phase-II scheme and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(III) Under Major Head “2015” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Electoral Officers - Reimbursement to State/Union Territory Governments” - saving of ₹2587.43 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17775.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the State/Union Territory Governments and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(खा) “मतदाता सूची तैयार करना तथा उनका मुद्रण – राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को प्रतिपूर्ति” – ₹10000.00 लाख की बचत (₹30000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मतदाता सूची को तैयार करने और उनके मुद्रण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से कम दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में कमी किए जाने के कारण हुई।

(गा) “मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना – राज्य सरकारों को प्रतिपूर्ति” – ₹4001.76 लाख की बचत (₹10000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए राज्य सरकारों से कम दावे प्राप्त होने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(घा) “अन्य व्यय – इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर व्यय” – ₹1163.72 लाख की बचत (₹3077.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के रख-रखाव के लिए राज्य सरकारों द्वारा कम निधियों की आवश्यकता और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹6999.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि दिसंबर, 2018 में मुख्य शीर्ष “2014” – “विधिक सहायता सेवा – राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण” के अंतर्गत ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें – केन्द्रीय सहायता/हिस्सा – न्यायपालिका के लिए अवसंरचना सुविधाएं” – के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं – ₹14169.00 लाख का अधिक व्यय (₹51500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(B) “Preparation and Printing of Electoral Rolls - Reimbursement to State/Union Territory Governments” - saving of ₹10000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State/Union Territory Governments towards preparation and printing of electoral rolls and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(C) “Issue of Photo Identity Cards to Voters - Reimbursement to State Governments” - saving of ₹4001.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the State Governments towards issue of photo identity cards to voters and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(D) “Other Expenditure - Expenditure on Electronic Voting Machines” - saving of ₹1163.72 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3077.00 lakhs) was due to requirement of less funds by the State Governments towards maintenance of Electronic Voting Machines and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

2.(I) The above savings were partly (₹6999.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2018 under Major Head “2014” - “Legal Aid Service - National Legal Service Authority”.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Infrastructure facilities for Judiciary” - excess of ₹14169.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹51500.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (₹29518.48 लाख) दिसंबर, 2018 तथा फरवरी, 2019 में प्राप्त किए गए ₹217214.00 लाख के पूरक अनुदान का 14 प्रतिशत तथा कुल स्वीकृत प्रावधान का 7 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹29518.48 lakhs) constituted 14 percent of the supplementary grants of ₹217214.00 lakhs obtained in December, 2018 and February, 2019 and 7 percent of the total sanctioned provision.

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head	
मुख्य शीर्ष "4070"	Major Head "4070"	
अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Administrative Services	
मू.	O.	180000.00
पू.	S.	217214.00
पु.	R.	-29357.00

367857.00 367695.52 -161.48

(I) "चुनाव - चुनाव आयोग के लिए ईवीएम" के अंतर्गत - ₹173000.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹217214.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹390214.00 लाख कर दिया गया, जो, तथापि भारत के चुनाव आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर्स वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स को खरीदने के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण - ₹24577.50 लाख की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(I) Under "Election - EVMs for Election Commission" - the original provision of ₹173000.00 lakhs was augmented to ₹390214.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹217214.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹24577.50 lakhs - due to requirement of less funds by the Election Commission of India towards purchase of Electronic Voting Machines and Voters Verifiable Paper Audit Trails.

(II) "निर्देशन और प्रशासन - आयकर अपीलीय अधिकरण के लिए भूमि का अर्जन और भवनों का निर्माण" के अंतर्गत - ₹4940.98 लाख की बचत (₹7000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन से कम माँग प्राप्त होने तथा दिल्ली में निर्माण कार्यकलापों पर न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश लगाए जाने के कारण हुई।

(II) Under "Direction and Administration - Acquisition of Land and Construction of Buildings for Income Tax Appellate Tribunal" - saving of ₹4940.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7000.00 lakhs) was due to receipt of less demand from National Buildings Construction Corporation owing to stay order by the court on construction activities in Delhi.